

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 1981/कार्तिक 27, 1903
No. 44] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 18, 1981/KARTIKA 27, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1981

आ. अ. 85(अ) .—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1981 के नियम 5 और
10 और निर्वाचन प्रतीक (औरक्षण और आर्बटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के
उप-पैरा (1) के खण्ड (घ) और उप-पैरा (2) और पैरा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2,
खण्ड 3(2) तारीख 28 सितम्बर, 1979 में का. आ. 557(अ) के रूप में प्रकाशित

अपनी अधिसूचना संख्या 56/79 तारीख 28 सितम्बर, 1979 में एतद्वारा निम्न-लिखित संशोधन कर रहा है, जिसे तारीख 29 अक्टूबर, 1981 से प्रभावी समझा जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-4 में मद 19 तमिलनाडु के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़े :—

“21 बाइसाइकिल”

[सं. 56/79-27]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 1981

O.N. 85(E).—In exercise of the powers conferred by rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and clause (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following further amendment in its notification No. 56/79 dated 28-9-1979 published as S.O. 557(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(ii) dated 28th September, 1979, which shall be deemed to have been made with effect from 29th October, 1981, namely—

In Table 4 appended to the said notification against Item 19. TAMIL NADU, under column 2, insert the entry “21. Bicycle”.

[No. 56/79-XXVII]

By order,

K. GANESAN, Secy,